

**अनुदान संख्या 85 – भू-संसाधन विभाग**  
**GRANT No. 85 - DEPARTMENT OF LAND RESOURCES**

	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving -
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)

राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-	2227,24,00	1535,12,01	-692,11,99
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			692,64,03

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान में, अभ्यर्पित राशि (₹69264.03 लाख) कुल बचतों ₹69211.99 लाख से अधिक हो गई।

1. In the grant, the amount surrendered (₹69264.03 lakhs) exceeded the overall savings of ₹69211.99 lakhs.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2501"	Major Head "2501"				
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Special Programmes for Rural Development				
मू.	O.	3800.00		597.00	649.74
पु.	R.	-3203.00			
					+52.74
मुख्य शीर्ष "2506"	Major Head "2506"				
भूमि सुधार	Land Reforms				
मू.	O.	13500.00		4378.00	4377.74
पु.	R.	-9122.00			
					-0.26

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष Head	Head	
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas	
मू.	O.	22160.00
पु.	R.	-22160.00
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments	
मू.	O.	182140.00
पु.	R.	-34907.00

	147233.00	147233.20	+0.20
--	-----------	-----------	-------

(I) ₹31160.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत चार मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of ₹31160.00 lakhs remained wholly unutilised in four cases under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552"

(A) Major Head "2552" -

(क) "बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - वाटरशेड विकास घटक" - ₹7800.00 लाख;

(a) "Waste Land Development - National Waste Land Development Programme - Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana - Watershed Development Component" - ₹7800.00 lakhs;

(ख) "भूमि सुधार - अन्य व्यय - डिजिटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम" - ₹1500.00 लाख; और

(b) "Land Reforms - Other Expenditure - Digital India Land Records Modernisation Programme" - ₹1500.00 lakhs; and

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - वाटरशेड विकास घटक" - ₹12860.00 लाख।

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana - Watershed Development Component" - ₹12860.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रयोजित स्कीम – बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजना – केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान – वाटरशेड प्रबंधन परियोजना – “नीरांचल” – ₹9000.00 लाख – कार्यक्रम को बंद करने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष “2501” – “बंजर भूमि विकास – राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम” – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “विश्व बैंक सहायता प्राप्त वाटरशेड प्रबंधन परियोजना “नीरांचल” – ₹1480.57 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यक्रम के बंद होने के कारण हुई।

(खा) “व्यवसायिक सहायता और अन्य कार्यकलाप” – ₹1501.04 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(III) मुख्य शीर्ष “2506” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “निर्देशन और प्रशासन – डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम” – ₹744.41 लाख की बचत (₹1340.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती के जाने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – भूमि सुधार – अन्य अनुदान” – ₹1660.23 लाख की बचत

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - Watershed Management Project - “Neeranchal” - ₹9000.00 lakhs - due to closure of the programme.

(II) Under Major Head “2501” - “Waste Land Development - National Waste Land Development Programme” - savings occurred under the following heads:-

(A) “World Bank Assisted Watershed Management Project “Neeranchal”- saving of ₹1480.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to closure of the programme.

(B) “Professional Support and Other Activities” - saving of ₹1501.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs); and

(III) Under Major Head “2506” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Direction and Administration - Digital India Land Records Modernisation Programme”- saving of ₹744.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1340.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Land Reforms - Other Grants” - saving of

(₹2490.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम” – ₹1000.01 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) “अन्य व्यय – डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम” – ₹5648.67 लाख की बचत (₹8070.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – वाटरशेड विकास संघटक” – ₹28231.80 लाख की बचत (₹131044.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – वाटरशेड विकास संघटक” – ₹5529.00 लाख की बचत (₹34296.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम – जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – वाटरशेड विकास संघटक” – के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई – ₹7854.00 लाख का अधिक व्यय (₹7800.00 लाख के

₹1660.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2490.00 lakhs);

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Digital India Land Records Modernisation Programme” - saving of ₹1000.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs); and

(D) “Other Expenditure - Digital India Land Records Modernisation Programme” - saving of ₹5648.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8070.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana - Watershed Development Component” - saving of ₹28231.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹131044.00 lakhs); and

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana - Watershed Development Component” - saving of ₹5529.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34296.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana - Watershed Development Component” - excess of ₹7854.00

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

lakhs (against the sanctioned provision of ₹7800.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

---